




| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|------------------------------|--|---|
| 30/05/2022 | <p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">राँची बी० बी० सी० पुनरीक्षण 119/2008</p> <p style="text-align: center;">रीता लाल बनाम् नवीन सिन्हा</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा वाद संख्या-77-R15/2007-08 में पारित आदेश के विरुद्ध बी० बी० सी० अधिनियम के धारा-26 के तहत दायर किया गया है। प्रश्नगत वाद में दिनांक-08.10.2018 को अंतिम हाजिरी दर्ज की गयी थी, जिसके पश्चात् से ही उभयपक्ष न्यायालय से अनुपस्थित है। दिनांक-24.11.2020 को इस न्यायालय द्वारा एक अंतिम मौका दिया गया था, किन्तु उसके पश्चात् भी आवेदक एवं विपक्षी लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।</p> <p>प्रश्नगत वाद में मूल बी० बी० सी० वाद संख्या-43/2006 में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची के द्वारा विपक्षी के आवेदन को रद्द कर दिया गया था। उपायुक्त न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के रूप में उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय का आदेश देखने से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा अपने आदेश में किये गये कतिपय उल्लेख न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उक्त आदेश में यह उल्लेखित है कि "इस संबंध में अलग से छानबीन अधोहस्ताक्षरी के द्वारा की गयी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी अपना प्रशिक्षण केन्द्र किसी अन्य स्थल पर चला तो रहे हैं, किन्तु सामान अभी भी यहीं पड़ा है। यह सभी परिस्थितियां इस ओर इंगित करती है कि यद्यपि अपीलार्थी किराया नहीं दे रहे हैं अथवा परिसर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किन्तु परिसर में अपीलार्थी का कब्जा है, जिसे जबरन विपक्षी द्वारा रोकने एवं निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में भले ही यह कब्जा अवैध हो, किन्तु पूर्व से चले आ रहे मकान मालिक एवं किरायेदार के बीच संबंध का ही फलाफल है"। स्पष्टतः ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा कुछ अन्य आधार पर यह निष्कर्ष स्वयं निकाला गया एवं विपक्षी के कब्जे को अवैध मानते हुये भी उचित ठहराया गया। इसके अतिरिक्त आवेदकों को प्रश्नगत परिसर से अपना ताला हटाने हेतु भी आदेशित किया गया, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं था। उभयपक्षों के बीच दिनांक-12.03.2004 को एक एकरारनामा किया गया है, जिसके अनुसार</p> | |



| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|------------------------------|--|---|
| | <p>किरायेदार द्वारा उक्त परिसर को खाली किये जाने एवं बकाया किराया के भुगतान के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किये गये है। अपीलीय न्यायालय में अंचल अधिकारी, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन भी स्वतः स्पष्ट है, जिसमें यह उल्लेखित है कि किरायेदार किराया भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में प्रश्नगत परिसर के कब्जे अथवा दखल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इसके पश्चात् भी अपीलीय न्यायालय द्वारा कथित रूप से अलग से छान-बीन का हवाला देकर एक तरफा आदेश पारित किया गया है। स्पष्टतः यह आदेश बी० बी० सी० अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। विपक्षियों के तरफ से इस न्यायालय में एक लिखित बहस भी दायर की गयी थी, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रश्नगत एकरारनामा जो दिनांक-12.03.2004 को लिखा गया है, वह फर्जी है एवं उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। विचारणीय है कि निम्न न्यायालय में ऐसा कोई दावा विपक्षी के तरफ से नहीं किया गया था। अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा इसी एकरारनामा के आधार पर अपने आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उभयपक्षों के बीच दिनांक-12.03.2004 की तिथि से ही मकान मालिक एवं किरायेदार का संबंध होने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, राँची से प्रश्नगत विषय पर स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था, जिसमें भी मकान मालिक एवं किरायेदार होने के संबंध में कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है। इसके पश्चात् भी अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वयं की कथित छान-बीन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अपीलीय न्यायालय को यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि किरायेदार द्वारा अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थल किसी अन्य जगह स्थानान्तरित किया जा चुका है, किन्तु कुछ सामान अभी भी पुराने स्थल पर ही पड़ा है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष को मान्यता नहीं दी जा सकती। वर्णित परिस्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जाता है। जहाँ तक प्रश्नगत परिसर को खाली करने का प्रश्न है, उभयपक्ष सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p> <p style="text-align: center;">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p> | |